



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 26.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने ग्राम कमाला के मन्दिर में लूट करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को पुलिस मुठभेड के बाद किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूट के रूपयों में से 1000/ रूपये नगद व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.08.2021 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी महंत श्री अन्नूनाथ बाबा भेडीनाथ मन्दिर ग्राम कमाला, श्री अशोक विद्यालय इन्टर कालिज ग्राम कमाला जुड थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने तहरीर दी कि 04 अज्ञात हथियार बन्द बदमाशों ने वादी के हाथ पैर बांधकर, बन्धक बनाकर मन्दिर से चीनी के कटटे, घी के टीन, रिफाईन्ड, साईकिल, कम्बल, रजाई, व करीब 25 हजार रूपये नगद एवं दान पात्र के रूपये लूट कर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 244/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा ग्राम कमाला के मन्दिर में लूट करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से लूट के रूपयों में से 1000/ रूपये नगद, लूट की 04

रजाई मय कवर, 02 कम्बल व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1- राशिद उर्फ चवन्नी पुत्र जमशेद निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

- लूट के रूपयों में से 1000/ रूपये नगद।
- लूट की 04 रजाई मय 0 4कवर,
- लूट के 02कम्बल ,
- 01अवैध तमंचा . 315बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस . 315बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 1269 धारा 379 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2.मु0अ0सं0 730/17 धारा 135 विधुत अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3.मु0अ0सं0 36/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।
- 4.मु0अ0सं0 88/19 धारा 323/376/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 5.मु0अ0सं0 137/19 धारा 414 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 6.मु0अ0सं0 139/19 धारा 4/ 25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 7.मु0अ0सं0 1006/19 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 8.मु0अ0सं0 110/20 धारा 147/148/323/427/352/452 भादवि थाना सिंघावली अहीर बागपत।
- 9.मु0अ0सं0 113/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 10.मु0अ0सं0 398/20 धारा 279/304ए भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 11.मु0अ0सं0 388/21 धारा 380/411/414 भादवि थाना खेकडा जनपद गाजियाबाद।
- 12.मु0अ0सं0 479/21 धारा 379/411 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 13.मु0अ0सं0 53/22 धारा 411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 14.मु0अ0सं0 249/22 धारा 379 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 15.मु0अ0सं0 244/21 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 16.मु0अ0सं0 273/22 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना सिंघावली अहीर बागपत।

17. मु0अ0सं0 274/22 धारा 3/25/27 आम्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरौही थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

2-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान

3-उ0नि0 श्री विनोद कुमार

4-का0 467 टिकू अधाना

5-का0 406 रविन्द्र भाटी

6-का0 357 अनुज शर्मा



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकड़ा

दिनांक 26.07.2022

थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 284/2022 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 284/2022 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आशीष पुत्र सतवीर निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना खेकड़ा ।
2. का0 427 अरुण कुमार थाना खेकड़ा ।
3. का0 955 रवि कुमार थाना खेकड़ा ।